न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

बॅटवारा वाद सं0–263 सन् 2015

रितु कुमारी वगैरह.....वादी

बनाम

मु0 बिन्दा कुॅवर वगैरह.....प्रतिवादी।

दिनांक–20.05.2025

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 01 नियम 10 वो भी दफा 151 जाप्ते दिवानी के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक– 22.06.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

हस्तक्षेपक का आवेदन में कथन है कि वादी ने प्रस्तुत वाद विभाजन के परितोष हेतु दाखिल किया है। वाद पत्र के वर्णित वंशवृक्ष में वर्णित मोतिलाल साह को नावल्द मृत दर्शाया गया है जो बिल्कुल गलत वो बदनियति पूर्वक किया गया बयान है। वस्तुतः मोतिलाल साह अपने एक पुत्र बबलू कुमार साह को अपना जायज वारिश छोड़कर स्वर्गवास किये बेरादर तथा उनका तमामी सम्पति बबलू कुमार साह को दर आयी जिस पर मोतिलाल साह के जायज वारिश के रूप में बबलू कुमार साह का पूर्ण हकियत वो दखल–कब्जा हुआ वो रहता चला आया। बबलू कुमार साह ने अपने जरूरत जायज हेतु विवादित जमीन मद सं0 1 वाद पत्र के अंश भाग जो उनके खास दखल–कब्जा में था को हस्तांतरित करने का ऐलान किया तो आवेदक गण उनके जामन जायज का पता लगाया सही पाकर बजरिए निबंधित ओसिका बेयनामा दिनांक 21/07/15 को दास्तावेज सं0–6465 से आवेदकगण के नाम विवादित के अंश भाग को हस्तांतरित कर आवेदकगण का दखल कब्जा करा दिया जिस बात कि पुरी पुरी जानकारी रखते हुए भी वादी आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि आवेदक बोनाफाएड परचेजर फौर वैल्यू के नाते वाद के जरूरी पक्षकार होते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपर वर्णित आवेदकगण को वाद में बतौर प्रतिवादी सं0 11 वो 12 करार देते हुए उनके वाद संघर्ष करने लिखित कथन प्रस्तुत करने का आदेश पारित करने की कृपा प्रदान कि जाए, ताकि आवेदकगण अपने सम्पति कि रक्षा कर सकें।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 10.07.2023 को दाखिल कर उपरोक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में हस्तक्षेपक प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनने हेतु आवेदन दाखिल किया है। हस्तक्षेपक का आवेदन में कथन है कि वाद पत्र के वर्णित वंशवृक्ष में वर्णित मोतिलाल साह को नावल्द मृत दर्शाया गया है जो बिल्कुल गलत वो बदनियति पूर्वक किया गया बयान है। वस्तुतः मोतिलाल साह अपने एक पुत्र बबलू कुमार साह को अपना जायज वारिश छोड़कर स्वर्गवास किये बेरादर तथा उनका तमामी सम्पति बबलू कुमार साह को दर आयी जिस पर मोतिलाल साह के जायज वारिश के रूप में बबलू कुमार साह का पूर्ण हकियत वो दखल–कब्जा हुआ वो रहता चला आया। बबलू कुमार साह ने अपने जरूरत जायज हेतु विवादित जमीन मद सं0 1 वाद पत्र के अंश भाग जो उनके खास दखल–कब्जा में था को हस्तांतरित करने का ऐलान किया तो आवेदक गण उनके जामन जायज का पता लगाया सही पाकर बजरिए निबंधित ओसिका बेयनामा दिनांक 21/07/15 को दास्तावेज सं0–6465 से आवेदकगण के नाम विवादित के अंश भाग को हस्तांतरित कर आवेदकगण का दखल कब्जा करा दिया जिस बात कि पुरी पुरी जानकारी रखते हुए भी वादी आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि हस्तक्षेपक की ओर से अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत सदस्यता प्रमाण पत्र एवं बैनामा की छायाप्रति दाखिल है, जिसमें बब्लू कुमार के पिता का नाम–मोती लाल साह दर्शाया गया है। हस्तक्षेपक की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ समर्थित है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु हस्तक्षेपक बब्लू कुमार को प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः हस्तक्षेकप की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.06.2023 को 500/–रूपया खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। हस्तक्षेपक खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें। वाद दिनांककृ.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।